

## National Conference on the topic of "Technological Developments and Changing Dimensions of Law April 13-14, 2019

### Conference on Technological Developments & Changing Dimensions of Law

**By OUR STAFF REPORTER DEHRADUN, 13 Apr:** The ICFAL University is organizing a National Conference on the topic of Technological Developments and Changing Dimensions of Law on 13th & 14th April. The Conference aims at having a healthy intellectual discussion on topics pertaining to the agenda of the Conference.

Addressing the conference on the first day, the Chief Guest for the Inaugural Session, Justice L. Nageswara Rao, a sitting Judge of the Supreme Court of India said, "Whether it is the technological development in the investigative methods or in the field of technical and record keeping work, technology is having a vast impact on our dynamic justice system. Students should take interest in understanding how technology improves the efficiency of their work and performance in court. The judiciary is focusing upon creating paperless courts and facilities like e-filing which is now being introduced in many courts for the citizens. Brain mapping and narco analysis are also used



for investigation and the results are always corroborated with the story and circumstantial evidence for judgment. On one hand, mobile phone records and information in the computers of the accused are used in courts for cross questioning and on the

other use of mobile phones have also caused major concerns for protection of privacy of individuals. Therefore knowing the law is not enough for the students of law, the use of technology for improving knowledge and the knowledge of technological developments itself is important for helping the society".

The Chief Guest of the Valedictory session is Justice Siddhartha Verma, a sitting judge in the High Court of Judicature at Allahabad.

The Guest of Honour of the session was Padmeshree Dr. Anil Joshi, the founder of Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization.

The guest of honor & key note Speaker was Prof. RK Murali, Faculty of Law, BHU, Varanasi.

Other guests of honor were Prof. Priti Saxena from School for Legal Studies, BBAU Central University, Lucknow and Dr. Yogesh P. Singh from National Law University, Cuttack, Odisha.

Garhwal Post

## प्रौद्योगिकी न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही : राव

### कार्यक्रम

आईसीएफएआई विधि में सेमिनार आयोजित

प्रभात ब्यूरो

विकासनगर। आईसीएफएआई विश्व विद्यालय में तकनीकी विकास व कानून के बदलते आयाम पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। सेमिनार में मुख्य अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नगेश्वर राव ने कहा कि जज के तर्कों में तकनीकी विकास ही या रिकार्ड रखने के काम के क्षेत्र में ही प्रौद्योगिकी हमारे परिवर्तित न्याय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डाल रही है। न्याय प्रणाली पर परलेस कोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित

कर रही है और नगरिकों के लिए कई अदालतों में अब ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएँ शुरू की जा रही हैं। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नगेश्वर राव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। पूर्व न्यायाधीश राव ने कहा कि छात्रों को यह समझने में रुचि लेनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी कैसे अदालत में उनके काम और प्रदर्शन की दक्षता में सुधार करती है। कहा कि विभिन्न मामलों में जांच के लिए ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस का भी उपयोग किया जाता है। एक तरफ मोबाइल फोन रिकार्ड और अभियुक्तों के कंप्यूटर में जानकारी का उपयोग पूछताछ के लिए अदालतों में किया जाता है। वहीं मोबाइल फोन के दूसरे उपयोग पर भी



दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथि।

प्रभात

व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंताएं हैं। इसलिए कानून को जानना कानून के छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि ज्ञान में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और तकनीकी विकास का ज्ञान ही समाज की मदद के लिए महत्वपूर्ण है। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर एड को-

मोट स्पीकर के रूप में प्रो० आरके मुरली फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू भारतवर्षी उपस्थित थे। अन्य अतिथियों के रूप में स्कूल फॉर लीगल स्टडीज बीबीएफू केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रो० प्रीति सक्सेना, प्रो० डॉ० राजेश बहुगुणा, प्रधानाचार्य लॉ कॉलेज देहरादून,

देशपाल लॉ यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा के डॉ० योगेश पी सिंह, शामिल हुए। प्रो० डॉ० पवन के अग्रवाल, कुलचोटी आईसीएफएआई विश्वविद्यालय देहरादून, प्रमुख सरक्षक वाइस चांसलर प्रो० डॉ० गुरु विनय, प्रो० डॉ० युगल किशोर, मोनिका खारोला, निदेशक, डॉ० सागर के जायसवाल, अतिथिक राव, स्टेडि बीवाकल, अकिश राव, सीध सेक्टर, करन उपाध्याय, मुस्कान अदवाल, अनुपूर्वा सिन्हा, बान्सी एण्डे, आयुषी श्रीवास्तव, तीरथ राजपूत, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के अन्य ज्ञान शामिल रहे। असेसिंग मुस्लिम विश्वविद्यालय, इमहाबद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विधि, नगराज विश्वविद्यालय मंडीत तैकई प्रतिभागियों ने विस्मा लिया।

Prabhat

# तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने किया सम्मेलन का उद्घाटन

उत्तर उजला, 10 अक्टूबर (आईएनए) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने बुधवार को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

सम्मेलन का आयोजन कानून के क्षेत्र में नए तकनीकी आविष्कारों के बारे में बात करने के लिए किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने बुधवार को उद्घाटन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।



सम्मेलन का उद्घाटन करे के बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

Uttar Ujala

# तकनीक मददगार है पर घातक भी: जस्टिस नागेश्वर



देहरादून | हमारे संवादकर्ता

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने कहा है कि तकनीकी विकास से हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन यह घातक भी है। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कंप्यूटर आदि चीजें अदालतों में प्रस्तुत और सबूत के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन और कंप्यूटर आज के समय में आपकी जानकारी चुराने का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं। यह शनिवार को आईसीएफआईएल कॉलेज में राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे।

आईसीएफआईएल कॉलेज में तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को हुआ। सम्मेलन में

छात्रों को नरो की लत के खिलाफ जागरूक किया

देहरादून। परिषद के अध्यक्ष ने शनिवार को देहरादून में नरो की लत के खिलाफ जागरूक किया। परिषद के अध्यक्ष ने शनिवार को देहरादून में नरो की लत के खिलाफ जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को तेज करने के लिए नए तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करना आवश्यक है।

Hindustan



आज का समय नया परकाम देना है। कर्मचारियों को मॉडर्न में रूढ़िवादी नज़र से नहीं देना है। साथ ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके उत्प्रेरक स्तर को बढ़ावा देना है।

आज का समय नया परकाम देना है। कर्मचारियों को मॉडर्न में रूढ़िवादी नज़र से नहीं देना है। साथ ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके उत्प्रेरक स्तर को बढ़ावा देना है।

आज का समय नया परकाम देना है। कर्मचारियों को मॉडर्न में रूढ़िवादी नज़र से नहीं देना है। साथ ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके उत्प्रेरक स्तर को बढ़ावा देना है।

# गतिशील न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी: नागेश्वर राव



शम-जन में स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अतिथि। प्रभा दरेश

कोलकाता, 13 अक्टूबर (एन.एस.)—कोलकाता के न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कोलकाता के न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कोलकाता के न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कोलकाता के न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कोलकाता के न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। न्यायाधीशों ने न्याय प्रणाली पर प्रभाव डाल रही है प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।



● इक्फाई यूनिवर्सिटी में नेशनल सेमिनार में शामिल स्टूडेंट्स.

## टेक्नोलॉजी के मिसयूज से पर्यावरण को खतरा : वर्मा

नेशनल सेमिनार में बोले  
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज

**DEHRADUN (14 April):** संडे को इक्फाई यूनिवर्सिटी में तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम पर हुए दो दिवसीय नेशनल सेमिनार का समापन हो गया है. समापन सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा ने शिरकत की.

### सही यूज हो टेक्नोलॉजी का

जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि हमारे देश में कानूनों को पर्यावरणीय चुनौतियों और बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए विकसित करना है. टेक्नोलॉजी के मिस यूज ने नागरिकों और पर्यावरण के लिए चुनौतियां पैदा

की हैं और इसलिए न्यायपालिका को हमारे आसपास बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बदलना है. एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कानून के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए. इस दौरान पेपर प्रेजेंटर का अवार्ड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कृष्णा गोयल और गर्विता अग्रवाल, बेस्ट पोस्टर का पुरस्कार इक्फाई यूनिवर्सिटी की गायत्री थापा को दिया गया. इस सत्र के गेस्ट डॉ. अनिल जोशी ने कहा कि भारत के गांवों से होकर गुजरने वाली और बहने वाली हर नदी एक पवित्र नदी की तरह है और इसलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए. जिस तरह से हम जीडीपी की गणना करते हैं, उसी तरह से गणना सकल पर्यावरण उत्पाद की आवश्यकता है.



# प्रौद्योगिकी न्याय प्रणाली को कर रही प्रभावित

जागरण संवाददाता, विकासनगर : इक्फाई विवि सेलाकुई में तकनीकी विकास व कानून के बदलते आयाम विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए छात्र-छात्राओं को कानून के टिप्स दिए। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने कहा कि चाहे जांच के तरीकों में तकनीकी विकास हो या रिकॉर्ड रखने के काम के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी हमारी गतिशील न्याय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डाल रही है।

उन्होंने कहा कि छात्रों को यह समझने में रुचि लेनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी कैसे अदालत में उनके काम और प्रदर्शन की दक्षता में सुधार करती है। न्यायपालिका पेपरलेस कोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और नागरिकों के लिए कई अदालतों में अब ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। जांच के लिए ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस का भी उपयोग किया जाता है और परिणाम हमेशा कहानी और निर्णय के लिए परिस्थिति के अनुसार साक्ष्य के साथ मिलाए जाते हैं। एक तरफ, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और अभियुक्तों के कंप्यूटर में जानकारी का उपयोग पूछताछ के लिए अदालतों में किया जाता है और मोबाइल फोन के दूसरे उपयोग पर भी व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा के

## राष्ट्रीय सम्मेलन

- इक्फाई विवि में तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम पर सम्मेलन
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने सम्मेलन का किया उद्घाटन

लिए प्रमुख चिंताएं हैं। इसलिए कानून को जानना, कानून के छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है, ज्ञान में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और तकनीकी विकास का ज्ञान ही समाज की मदद के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. आरके मुरली फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू वाराणसी ने छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इलाहाबाद सिद्धार्थ वर्मा मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में लखनऊ से प्रो. प्रीति सक्सेना, प्रो. डॉ. राजेश बहुगुणा प्रधानाचार्य लॉ कॉलेज देहरादून, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा के डॉ. योगेश पी सिंह, प्रो. पवन के अग्रवाल कुलपति, प्रो-वाइस चांसलर प्रो. मुद्दू विनय, प्रो. युगल किशोर, मोनिका खारोला, डॉ. सागर के जायसवाल, अभिषेक राज, रूद्रेश श्रीवास्तव, अंकित राज, सौरभ शेखर, करन उपाध्याय, मुस्कान अग्रवाल, आयुषी श्रीवास्तव, सौरभ राजपुत आदि मौजूद रहे।

# सम्मेलन में कानून के बदलते आयाम पर चर्चा

मास्कर समाचार सेवा

देहरादून। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय 'तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कानून के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी प्रगति के बारे में चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एल. नागेश्वर राव ने बताया कि प्रौद्योगिकी हमारे गतिशील न्याय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डाल

● न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने किया उद्घाटन

रही है। छात्रों को यह समझने में रुचि लेनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी कैसे अदालत में उनके काम और प्रदर्शन की दक्षता में सुधार करती है। न्यायपालिका पेपरलेस कोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और नागरिकों के लिए कई अदालतों में अब ई-फाइलिंग जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। जांच के लिए ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस का भी उपयोग किया जाता है और परिणाम हमेशा कहानी और निर्णय के लिए परिस्थिति के अनुसार साक्ष्य के साथ मिलाये जाते हैं।



## ‘न्याय के क्षेत्र में तकनीकी का अहम योगदान’

देहरादून। तकनीकी विकास और कानून के बदलते आयाम विषय पर इक्फाई विवि में दो दिवसीय सम्मेलन शनिवार को शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर ने किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में न्याय के क्षेत्र में तकनीकी का अहम योगदान है। मुकदमों की विवेचना हो या न्यायालयों में रिकॉर्ड रखने की बात सभी जगह प्रौद्योगिकी अपना रोल अदा कर रही है। मौजूदा समय में पेपरलेस कोर्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय कुछ अदालतों में ई-फाइलिंग का काम भी शुरू हो गया है। कार्यक्रम में 65 से अधिक विवि के छात्र-छात्राओं और 330 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। शनिवार के कार्यक्रम का समापन उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने किया।

इस अवसर पर स्कूल फॉर लीगल स्टडीज लखनऊ की प्रोफेसर प्रीति सक्सेना, प्रोफेसर डॉ. राजेश बहुगुणा प्रधानाचार्य लॉ कॉलेज देहरादून, नेशनल लॉ विवि कटक ओडिशा के डॉ. योगेश पी. सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो

# प्रौद्योगिकी का गतिशील न्याय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव: राव



सम्मेलन में विद्यार्थी राव का भागी विरोध।

## सहभागी न्याय व्यूरी

दिल्ली

इसका विरोध विद्यार्थी और कानून के बदलते न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इसका न्याय प्रणाली में तकनीकी विकास पर चर्चा की गई। राव ने तकनीकी विकास को समाज के लिए

महत्वपूर्ण बताया गया। सम्मेलन में 62 से अधिक विश्वविद्यालयों के 330 शोधकर्ता भाग ले रहे हैं।

शनिवार को इन्फोर्मेशन और ऑप्टिकल टो डिवाइस सम्मेलन का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन जेएसएल राव ने किया। उद्घाटन सत्र में वकील मुख्य अतिथि श्री राव ने प्रौद्योगिकी देश के

गतिशील न्याय प्रणाली में व्यापक प्रभाव डालने का है। राव से लेकर रिपोर्ट करने तक इस तरह प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पेपरलेस कोर्ट बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इसके साथ न्याय के लिए कई अद्यतनों में अब ई-फाइलिंग जैसे सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। जज के लिए जैन मैगिंग और नार्को रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया जा रहा है। परिणाम हमेशा कहाने और निर्णय के लिए परिवर्तित के अनुसार संभव के साथ मिलाने जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन सिंकार्ड और अधिपत्रों के कंप्यूटर में जानकारी का उपयोग सुधार के लिए अद्यतनों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानून को जनपथ की छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है।

सम्मेलन में वकील विशिष्ट अतिथि बीएसए के प्रो. अरक भुल्ले, मूलतः प्रो.

वीरगन स्टडीज बीबीएए केटीए विश्वविद्यालय (लखनऊ) में प्रो. प्रीति साहस, लॉ कॉलेज देहरादून के प्राचार्य डॉ. राजेश शर्मा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक (ओडिशा) के प्रा. योगेश श्री सिंह,

इन्फोर्मेशन के कुलपति प्रो. (डॉ.) पवन के. अग्रवाल, प्रो-वर्ल्डस कॉमलर प्रो. (डॉ.) मुकुंद प्रिय, डॉ. सुनल किशोर, शैली मेनिका शरीर, डॉ. श्याम के. जयसवाल, अधिपत्र राज अदि ने विचार विचार व्यक्त किए।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने तकनीकी विकास को बताया समाज के लिए महत्वपूर्ण

सम्मेलन के आयोजन में इंडीस बीबीएए, अतिथि राव, सीएच देवरा, कानून उपस्थित, मुनिका अग्रवाल, अर्जुन मिश्रा, जानकी पण्डे, आर्यो बीबीएए, सीएच राजपुत समेत अनेक छात्रों ने भागीदारी दी। 14 अंशों को समाप्त समाप्त में उनका न्यायपालिका इत्यादि के न्यायपालिका सिद्धांतों चर्चा करी मुख्य अतिथि मौजूद रहे।

Rashtriya Sahara

# न्यायपालिका को पेपरलेस बनाना प्राथमिकता

दिल्ली, 14 अक्टूबर (पंजाब केसरी)। आईसीएफआई विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी विकास और कानून के बदलते न्याय पर आयोजित की विश्वीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन जेएसएल राव ने किया। उन्होंने कहा कि चर्चा का जज के हाथों में तकनीकी विकास हो ता सिंकार्ड रखने के काय के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हमारे गतिशील न्याय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को यह समझने में सक्षम होने चाहिए कि प्रौद्योगिकी के नए अद्यतनों में उनके काम और प्रदर्शन को देखना में सुधार करती है। न्यायपालिका नेशनल कोर्ट बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और नार्को के लिए कई अद्यतनों में अब ई-फाइलिंग जैसे सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। राव के लिए जैन मैगिंग और नार्को रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया जा रहा है और परिणाम हमेशा कहाने और निर्णय के लिए परिवर्तित के अनुसार संभव के साथ मिलाने जाते हैं। एक तरफ, मोबाइल फोन सिंकार्ड और अधिपत्रों के कंप्यूटर में जानकारी का उपयोग सुधार के

**राष्ट्रीय सम्मेलन**

- कई अद्यतनों में अब ई-फाइलिंग की सुविधा जल्द शुरू होगी
- प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्यायपालिका की दक्षता में आश्चर्य सुधार

## सम्मेलन ने कई विशेषज्ञों को लिया हिस्सा

मेस्ट्र अरक अरिन एंड को-मोर उपोक्त के रूप में प्रो. आर के. भुल्ले, कैकलटी लॉफ हाई, बी एस यू, वासुदेवी, अन्य अतिथि के रूप में मूलतः प्रो. वीरगन स्टडीज, बीबीएए केटीए विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रो. प्रीति साहस, लॉ कॉलेज देहरादून, लीपड, एडिटी, बीआईटी के 65 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्रों, शोधकर्ताओं और विद्वानों सहित लगभग 330 प्रतिभागियों में भाग लिया।

लिया अद्यतनों में विकास जल्द ही और मोबाइल फोन के दुर्गम उपकरण पर भी व्यक्तियों को गोपनीयता को सुरक्षा के लिए उपयुक्त सिंकार्ड हैं। इनलिए कानून को जनपथ, कानून

के छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है, जज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और तकनीकी विकास का ज्ञान ही समाज को सरद के लिए महत्वपूर्ण है।



दूर में अतिथि वीरगन का शुभारंभ करने अतिथि। (पंजाब केसरी)

Punjab Kesari